फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, रजिस्टर्ड पता एम – 62 – 63 फर्स्ट फलोर कनाट प्लेस, नई दिल्ली– 110001 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि – **प्रार्थी**

बनाम

1. कौशिक वर्मा उर्फ कौशिक कुमार वर्मा प्रोपराइर्टर – सागर डिजिटल स्टूडियों पता – (1) शीतला मंदिर के पास, एसबीबीजे बैंक के पास, राजसमन्द 313324 राजस्थान (2) कौशिक कुमार वर्मा, 238, ढोली खान रोड, नई आबादी संवर, वार्ड नम्बर – 2, कांकरोली, राजसमन्द 313324 राजस्थान, (3) कौशिक कुमार वर्मा, प्लॉट नम्बर 05 ए खसरा 128/3, किशोर नगर, 100 फीट रोड, (30 फीट रोड) कलेक्ट्रेट के पास, तहसील व जिला राजसमन्द 313324
2. रिंकु कुमारी वर्मा पत्नी कौशिक कुमार वर्मा, पता – (1) 238, ढोली खान रोड, नई आबादी संवर, कांकरोली, राजसमन्द 313324 राजस्थान, (2) प्लॉट नम्बर 05 ए खसरा 128/3, किशोर नगर, 100 फीट रोड, (30 फीट रोड) कलेक्ट्रेट के पास, तहसील व जिला राजसमन्द 313324

–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 37/2021**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 09.11.2021 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड नई दिल्ली ने दिनांकः 26.08.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अनुबंध संख्या **HLAPUDA00452636** दिनांकित 30/06/2018 के जरिये प्रार्थी कम्पनी से कुल 1059626/– रुपए अक्षरे दस लाख उनसठ हजार छः सौ छब्बीस मात्र की वित्तिय सुविधा प्राप्त की थी। उपरोक्त ऋण की सिक्योरिटी पेटे अप्रार्थीगण द्वारा अपनी सम्पत्ति व्यावसायिक प्लॉट – 05 ए, (प्लॉट संख्या–5, का दक्षिणी हिस्सा) नियर 100 फीट रोड (उत्तर की ओर) पर कुल 750 वर्गफीट स्थित हैं खसरा नम्बर – 128/3, राजस्व गांव – किशोर नगर, तहसील व जिला राजसमन्द 313324 राजस्थान पर स्थित सम्पति को प्रार्थी कम्पनी के	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

यहां मोरगेज किया था। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वित्तीय सुविधा का ऋण अनुबंध पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार भुगतान नहीं किया गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपनी किश्तों का नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खाते दिनांक 20/11/2019 को विधिनुसार एनपीए घोषित कर दिया गया।

प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त खाते को एनपीए घोषित करने के उपरांत विधिनुसार अप्रार्थीगण को सिक्योरिटाइजेशन एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस दिनांकित 21/11/2019 को प्रेषित कर अप्रार्थीगण से दिनांक 20/11/2019 तक कुल बकाया राशि 1166571/–रुपये व भुगतान की तिथि तक की अतिरिक्त बकाया राशि मय ब्याज की माग की गई तथा उक्त राशि को नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर भुगतान करने हेतु कहा। इस प्रकार अप्रार्थीगण को उक्त नोटिस की तामिल हो गई तथा तामिल के उपरांत भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के अनुसार समस्त कार्यवाहीं विधिनुसार की गई तथा उसके उपरांत भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया इसलिए प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थीगण की सम्पत्ति व्यावसायिक प्लॉट – 05 ए, (प्लॉट संख्या–5, का दक्षिणी हिस्सा) नियर 100 फीट रोड (उत्तर की ओर) पर कुल 750 वर्गफीट स्थित हैं खसरा नम्बर – 128/3, राजस्व गांव – किशोर नगर, तहसील व जिला राजसमन्द 313324 राजस्थान का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ताकि कम्पनी उक्त सम्पति को विधिनुसार नीलाम करके अपनी ऋण राशि को वसूल कर सके।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 21.11.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं अखबार की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– – 05 ए, (प्लॉट संख्या–5, का दक्षिणी हिस्सा) नियर 100 फीट रोड (उत्तर की ओर) पर कुल 750 वर्गफीट स्थित हैं खसरा नम्बर – 128/3, राजस्व गांव – किशोर नगर, तहसील व जिला राजसमन्द 313324 में स्थित सम्पत्ति के पडौस :– पूर्व :– आम रास्ता, पश्चिम :– खसरा संख्या 127 पर निर्मित भवन, उत्तर :– प्लॉट संख्या– 5 बी , दक्षिण :– प्लॉट संख्या – 4।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड नई दिल्ली के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड नई दिल्ली को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)